

FORM No. III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

APP-A
 crim-1

दालत उपरखोड अधिकारी मुकाम माण्डल
 लोड्डु बनाम बक्षु
 मुकदमा ईजराय नं. 23 सन 2018

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7-18	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पैरा ड्रई ईजराय डिडी की पालना हेतु तहसीलदार माण्डल को लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 14-8-18 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी भांडल जिला भीलवाड़ा</p>	
14-8-18	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अगला पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14-8-18 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
17-8-18	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी/राजकीय कार्य से बाहर हैं। अगला पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14-12-18 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
14-12-18	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अगला पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28-5-19 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
28-5-19	<p>पत्रावली पैरा ड्रई परवाद हल्का अमरगढ़ द्वारा पालना रिपोर्ट में बताया कि आपस 26/18 चिठियां</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न
आ
हुक
:

प डिब्बी फिर्का २५.५.१४ की पालना अनुसार
वादी एवं प्रतिवादी के अपने-अपने हिस्से अछुआगे
भूमि सिधुर्त कर दी गई। प्रकरण में डाव कोई
कार्यवाही शेष नहीं है।

पगावली फौजल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
संभल जिला भीलवाड़ा